

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 14 सन 2020

अनवान :-

1. बाधोदेवी पत्नी भागसिंह जाति जाट साकिन दीपलालना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 10/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13.3420 हैक भूमि में सायाल का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बाधोदेवी निवास स्थान दलपतपुरा दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम बादोदेवी एवं निवास स्थान दीपलना है यही नाम/निवास स्थान अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम /निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम बादोदेवी निवासी स्थान दीपलाना दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम /निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13.3420 हैक भूमि में सायाल का 1/9 हिस्सा भूमि में सायला का नाम बाधोदेवी निवासी स्थान दलपतपुरा के स्थान पर बादोदेवी निवास स्थान दीपलाना संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13.3420 हैक भूमि में सायाल का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बाधोदेवी निवास स्थान दलपतपुरा दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम बादोदेवी एवं निवास स्थान दीपलना है यही नाम/निवास स्थान अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम /निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम बादोदेवी निवासी स्थान दीपलाना दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम /निवास स्थान-राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

परोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13.3420हैक् भूमि में सायाल का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

जिसमें प्रार्थी का नाम बाधोदेवी निवासी स्थान दलपतपुरा दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम बादोदेवी एवं निवास स्थान दीपलाना है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल बैयनामा सभी में वादी का नाम बाधोदेवी निवास स्थान दीपलाना दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13.3420हैक् भूमि में 1/9 हिस्सा में दर्ज बादोदेवी पत्नि भागसिह निवास स्थान दलपतपुरा के स्थान पर बाधोदेवी पत्नि भागसिह निवास स्थान दीपलाना संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/5/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपसमूह अधिकारी (राजस्व)
नोडर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/

958

दिनांक :- 10/08/20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 14/2020 अनवानी बाधोदेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. बाधोदेवी पत्नि भागसिंह जाति जाट साकिन दीपलाना साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 14/2020 अनवानी बाधोदेवी बनाम सरकार में दिनांक 10/08/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 171/173 के खसरा न0 29/13. 3420 हैक् भूमि में 1/9 हिस्सा में दर्ज बाधोदेवी पत्नि भागसिंह निवास स्थान दलपतपुरा के स्थान पर बाधोदेवी पत्नि भागसिंह निवास स्थान दीपलाना संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)